



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 25.11.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ आपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप अलग-अलग 06 मामलों में कुल 07 अभियुक्तों को 18500 रुपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित ।

विवरण- पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान आपरेशन कन्विकशन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में अलग-अलग 06 मामलों में कुल 07 अभियुक्तों को 18500 रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

अभियोग-

1. थाना तिन्दवारी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-51/20 धारा 323/504/506 भादवि के 02 अभियुक्तों 1. मुन्ना पुत्र भूरा 2. लाखन पुत्र मुन्ना निवासीगण सिधौली थाना तिन्दवारी जनपद बांदा को कुल 12000/ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिन का अतिरिक्त कारावास ।
2. थाना मटौन्ध पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 95/22 धारा 279/337/427 भादवि के अभियुक्त तौकीर आलम पुत्र सनाउल्लाह निवासी ग्राम डिघवा थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया को कुल 3000/ रुपये के अर्थदण्ड व न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित कराया गया । । अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास ।
3. थाना बबेरु पर पंजीकृत मु0अ0सं0-19/01 धारा 323/34,324/34,504 भादवि के अभियुक्त राममूरत पुत्र बच्चू निवासी सिमौनी थाना बबेरु जनपद बांदा को कुल 1000/ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।
4. थाना बबेरु पर पंजीकृत मु0अ0सं0-77/10 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के अभियुक्त छोटा पुत्र जागेश्वर निवासी कस्बा बबेरु थाना बबेरु जनपद बांदा को पूर्व में 04 दिन जेल में बिताई गई अवधि व न्यायालय उठने तक की सजा साथ ही 500/ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।
5. थाना मरका पर पंजीकृत मु0अ0सं0-97/95 धारा 323/325/504/506 भादवि के अभियुक्त नत्थू पुत्र गनेश निवासी पारा वन्नो बेगम थाना बबेरु जनपद बांदा को पूर्व में 03 वर्ष 04 माह जेल में बिताई गई अवधि व 1000/ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।
6. थाना मरका पर पंजीकृत मु0अ0सं0-28/12 धारा 25 आर्म्स एक्ट के अभियुक्त कमल बहादुर पुत्र रामलाल निवासी बम्हरौला थाना मरका जनपद बांदा को पूर्व में 11 दिन जेल में बिताई गई अवधि व न्यायालय उठने तक की सजा साथ ही 1000/ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।